न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

118

गणेश सिंह तनय स्व0 रमागोविन्द सिंह उम्र 50 वर्ष, निवासी आनन्द नगर बोदाबाग तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

.... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम नि0-108/III/10

श्रीमती सत्यवती पाण्डेय पत्नी बृजमोहन पाण्डेय निवासी आनन्द नगर बोदाबाग तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) .... अनावेदका/गैर निगरानीकर्ता

R.K. Nigam
राजेश कुमार मिश्रा अधि०
O.P. Singh, Adv.
द्वारा अ.अ. दि० 25.01.10 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 20/ निगरानी/05-07 आदेश दि0 5.11.09

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :-

1- यह कि निगरानी कर्ता ने भूमि खसरा नं. 516/1/2 में से नक्शा प्लाट के अनुसार 40+37/2 एव 70+47/2 एव 16×37/2 अर्थात 2548.25 वर्ग फिट दिनांक 6.7.2000 को विक्रेता बाल्मीक प्रसाद चौबे से रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय की है। और उसी के अनुसार नामान्तरण भी किया जा चुका है। एवं नगर निगम से अनुज्ञा पत्र भी प्राप्त हो चुका है, इसके बाद आराजी नं. 518/1/2 रकबा 2.35 एकड़ में से 9·5+1[illegible]×40=450 वर्ग फिट आराजी दिनांक 9.3.06 को श्रीमती सत्यवती पाण्डेय ने क्रय किया। उक्त विक्रय पत्र के बाद निगरानी कर्ता का जो त्रिभुजाकार कुछ खुदा रकबा है उसी में सत्यवती पाण्डेय ने विवाद प्रारंभ कर दिया

गणेश सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 108–तीन/10 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24_9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 20/निगरानी/06.07 आदेष दिनांक 5.11.09 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है अनावेदिका सत्यवती पत्नी वृजमोहन पाण्डेय निवासी बोदवाग रीवा द्वारा स्वतः की भूमि पर डाली गई बीम के ऊपर वाउन्ड्रीवाल के निर्माण में गणेश सिंह बगैरह द्वारा व्यवधान पैदा कर जौर जबरदस्ती की जाने संबधी बात कही गई । उक्त के संबंध में गठित टीम के द्वारा जांच कराई गई जिसमें जांच रिपोर्ट पर स्वतः की भूमि पर वाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना पाया गया। तहसीलदार हुजूर के पत्र कमांक 367/तह हुजूर/06 रीवा दिनांक 25.6.06 द्वारा अनावेदक गणेष सिंह वगैरह के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु थाना प्रीारी विष्व विद्यालय रीवा को पत्र लिखा गया । उक्त पत्र कमांक के विरूद्व गणेश सिंह द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 786/अ–68/05–06 में पारित आदेश दिनांक 28.9.06 में पारित आदेश दिनांक 28.9.06 द्वारा निगरानी अग्राह्य की गई। इसी आदेश के विरूद्व आदेश सिंह द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा	

के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो उनके द्वारा दिनांक 5.11.09 से निरस्त की गई, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसे विकय पत्र, नामांतरण नगर निगम के अनुज्ञा पत्र आदि के दस्तावेज आदेश के समय देखा नहीं गया है, अर्थात उन पर विचार भी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4— अनावेदक का तर्क है कि अनावेदिका सत्यवती पत्नी बृजमोहन पाण्डेय निवासी बोदवाग रीवा स्वतः ही भूमि पर डाली गई बीम के ऊपर बाउन्ड्रीबाल की जा रही थी जिसमें रोकने के लिये गणेश ने जबरजस्ती रोकने की कोशिश की अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया ।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है उपलबध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6— प्रकरण के अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि उत्तरवादी सत्यवती पत्नी वृजमोहन पाण्डेय निवासी बोदवाग रीवा द्वारा स्वतः की भूमि पर डाली गई बीम के ऊपर वाउन्ड्रीबॉल के निमार्ण करा रही थी जिसमें गणेश सिंह आदि द्वारा व्यवधान पेदा कर जोर जबरदस्ती किया जाना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी इसी तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित आराजी सत्यवती की है जिसमें गणेश सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा

करने का प्रयास किया जा रहा हैं तहसीलदार हुजूर द्वारा 25.8.06 को आवेदक गणेश सिंह वगैरह के वियद्व नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु थाना प्रभारी विश्व विद्यालय रीवा को पत्र भी लिखा गया। गणेश सिंह द्वारा इसी पत्र को लेकर अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें उनके द्वारा निगरानी औचित्यपूर्ण न पाई जाने से खारिज कर दी गई।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यदि गणेश सिंह के पास अपनी भूमि के दस्तावेज हैं तो वह अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है। सत्यवती ने अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करया गया गया। अतः तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि गणेश सिंह अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें तो उभयपक्ष को आहूत कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये इस न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर दो माह के अन्दर सीमांकन की कार्यव्रही कर सूचित करें। निगरानी निराकृत की जाती है।

सदस्य